कार्यालय : श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति, श्री बदरीनाथ धाम, जिला–चमोली।

पंत्राक– 139/कोटेशन/नव निर्माण/2018–19 *दिनांक– 04.05.2018*

कोटेशन सूचना

श्री बदरीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति के अधीन चौथान जिला– पौड़ी स्थित बिनसर महादेव मन्दिर के नवनिर्माण हेतु निम्नलिखित भवन सामाग्री की आवश्यकता है, जिसके लिए जी0एस0टी0 में पंजीकृत विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ता फर्मों से दिनांक 24.05.2018 को सील बन्द कोटेशन अपराहन 3:00 बजे तक मन्दिर समिति के साकेत, लेन नं0 7, कैनाल रोड़, देहरादून, दूरभाष 0135–2741600 स्थित शिविर कार्यालय में आंमत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन अपराहन 03.30 बजे उपस्थित कोटेशन दाताओं एवं अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके प्रतिनिधि के सम्मुख खोले जायेगें।

क0सं0	सामग्री का नाम	नग
1.	सीमेंन्ट ए0सी0सी0	3000 बैग
2.	क्रेशर रोड़ी 20 एम0एम0	5000 कुन्तल
3.	कोर्स सैंड	6000 कुन्तल
4.	टी0एम0टी0 सरिया	300 कुन्तल
5.	प्रथम श्रेणी टीक लकड़ी	4.5 घन मी0

कोटेशन से सम्बन्धित सभी नियम व शर्ते मन्दिर समिति के शिविर कार्यालय साकेत, लेन नं0 7, कैनाल रोड़, देहरादून, दूरभाष 0135–2741600 में किसी भी कार्य दिवस में देखे जा सकते है। कोटेशन शर्ते समिति की वेब साईट www.badarikedar.org में भी दिनांक 07.05.2018 से उपलब्ध रहेगी। कोटेशन मन्दिर समिति के उपरोक्त शिविर कार्यालय के पते पर डाक द्वारा भी भेजे जा सकते है, प्राप्त किये किसी भी कोटेशन अथवा समस्त कोटेशनों को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

मुख्यकार्याधिकारी

<u>कोटेशन की शर्तें –</u>

1. सामग्री आपूर्ति पीठ सैण के निकट (थान) जिला पौड़ी सड़क मार्ग पर मन्दिर समिति के अस्थायी गोदाम तक की जानी है।
2. सामग्री की कोटेशन दरों में जी0एस0टी0 व ट्रासंपोर्टेशन दरों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
3. कोटेशन के साथ रू0 1,10,000/– की धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/के0वी0पी0 राष्ट्रीयकृत बैंक से सम्बन्धित, जो कि मुख्यकार्याधिकारी श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति जिला–चमोली के नाम से बन्धक हो जमा कि जानी आवश्यक है, जिसको सामग्री आपूर्ति समयावधि के उपरान्त ही अवमुक्त किया जा सकेगा।
4. सामग्री की मात्रा कम व ज्यादा हो सकती है।
5. सीमेंट की आपूर्ति कार्य प्रगति के अनुरूप की जानी होगी, प्रभारी अभियन्ता द्वारा इस आशय का आपूर्ति पत्र प्रथक से समय–समय पर सम्बन्धित फर्म को निर्गत किया जायेगा, अन्य सामाग्री एक माह की अवधि में अथवा प्रभारी अभियन्ता के मांग के अनुरूप आपूर्ति की जानी होगी।
6. रोड़ी तथा रेत दरें आपूर्ति स्थल से न्यूनतम दूरी पर उपलब्धता के आधार पर देनी होगी।
7. सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित माप–दण्ड के अनुरूप न पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म का आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही ऐसी किसी भी सामग्री का भुगतान सम्बन्धित फर्म को नहीं किया जायेगा।
8. प्रकाशित निविदा सूचना में सीमेंट ए0सी0सी0 उल्लेखित है, इनके अतिरिक्त अम्बुजा/बिड़ला आदि प्रचलित मार्क की 43 ग्रेड की सीमेंट दरें दी जा सकती है, टी0एम0टी0 सरिया टिहरी गोल्ड/राठी व अन्य प्रमाणित मार्क की होनी चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता